सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 489 राँची ,मंगलवार

8 आश्विन 1936 (श०)

30 सितम्बर, 2014 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

26 सितम्बर, 2014

विषय: पदस्थापन की प्रतीक्षा अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पतम करने के संबंध में।

संख्या-15/एस-03(से.वि.)-01/2014/3445/वि०--वित्त विभागीय संकल्प संख्या 932/वि॰, दिनांक 5 फरवरी, 1986 द्वारा सरकारी सेवकों के 180 दिनों की प्रभार रहित अवधि को विनियमित करने की शक्ति प्रशासी विभाग को प्रत्यायोजित की गयी है। 180 दिनों से अधिक की प्रभार रहित अवधि वित्त विभाग की सहमति से विनियमित होते हैं।

2. वित्त विभागीय पत्र संख्या 3622/वि॰, दिनांक 17 जून, 1998 में स्पष्ट किया गया है कि बिना कोई काम या सेवा (सर्विस) लिए वेतनादि के मद से भुगतान करना गंभीर वित्तीय अनियमितता है और इस पर पूर्णतया पाबंदी लगाना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कीमत पर यह अवधि पन्द्रह दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण कर दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के वेतन से भुगतेय राशि काटी जानी है।

3. वित्त विभागीय पत्र संख्या 40/वि॰, दिनांक 7 जनवरी, 2011 द्वारा अपरिहार्य कारणों से प्रभार रहित अवधि उत्पन्न होने पर की जाने वाली कारवाईयों से संबंधित विस्तृत निदेश दिये गये हैं, इसके बावजूद पदस्थापन में विलम्ब अथवा अन्य किसी न किसी कारणवश पदाधिकारियों/कर्मियों के अनिवार्य प्रतीक्षा में रहने के मामलों में कोई कमी आयी है, ऐसा आभास नहीं होता है।

4. प्रभार रहित अवधि उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्न है:-

(i) विभाग द्वारा बिना रिक्त पद के पदस्थापन करना।

(ii) स्थापना समिति में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के क्रम में अन्तर होना यथा सभी स्थानान्तरित, Wait listed का समुचित रिक्त स्थान पर पदस्थापित नहीं करना।

(iii) बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किए अवकाश में जाना एवं सरकार के आदेशों के विरूद्ध Protest स्वरूप पदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं करना।

(iv) बिना सक्षम स्वीकृति के अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करना।

(v) बिना सूचना के Health ground पर अवकाश पर प्रस्थान करना।

(vi) विभाग के कर्मियों के मिलीभगत से Back dated योगदान देना तथा उसे स्थापना समिति में उपस्थापित नहीं करना।

(vii) स्थापना समिति की नियमित बैठक नहीं होना।

(viii) स्थापना समिति की अनुशंसा पर अन्तिम निर्णय नहीं होना।

5. सभी पहलूओं पर विचारोपरांत, इस उद्देश्य से कि किसी भी परिस्थिति में बिना कोई कार्य या सेवा लिए सरकारी कोषागार से बतौर वेतन अथवा अन्यथा कोई भुगतान न किए जाएं, निम्नरूपेण कारवाई किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है:-

(i) विभागीय सचिव द्वारा, waiting for posting के मामले में, प्रत्येक माह स्थापना समिति की बैठक कर, सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करते हुए मामले का निष्पादन किया जायेगा।

(ii) अगर प्रस्ताव प्रेषण के 15 दिन के अन्दर सक्षम स्तर से स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तो वैसी स्थिति में विभागीय सचिव सम्बन्धित पदाधिकारी को उसके वेतनमान के समतुल्य रिक्त पद पर स्थापना समिति की अनुशंसा के अनुरूप औपबंधिक रूप में पदस्थापित कर देंगे।

(iii) सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमित पदस्थापन तद्नुसार किया जायेगा।

(iv) निदेशक/विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह स्थापना समिति की बैठक कर नियमानुसार पदस्थापन करेंगे एवं प्रस्ताव पर विभागीय सचिव/सक्षम स्तर की सहमति नियमित स्थापना अवधि नहीं रहने पर प्राप्त कर लेंगे।

(v) विभागीय सचिव के स्तर पर 7 दिन से ज्यादा विलम्ब की स्थिति में कंडिका (ii) & (iii) के अनुरूप निदेशक/विभागाध्यक्ष द्वारा कारवाई की जायेगी।

(vi) इस तरह बिना कार्य के लम्बी अवधि तक कोई पदाधिकारी/कर्मी वेतन नहीं प्राप्त कर सकेगा।

6. प्रशासी विभाग निम्न प्रकार waiting for posting को नियमित कर सकेगा।

(i) Waiting अवधि नियमित करने के लिए एक विभागीय सेवा नियमितीकरण समिति विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी, जिसमें विभागीय वरीष्टतम विशेष सचिव से उप सचिव तक (स्था॰) के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सदस्य, विभागाध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का SC/ST प्रतिनिधि, विभागीय IFA सदस्य होंगे।

(ii) उक्त समिति की अनुशंसा पर 30 दिन की प्रतीक्ष्य अवधि विभागीय सचिव के स्तर पर नियमित की जायेगी। यह आदेश IFA की अनुशंसा के क्रम में निर्गत किया जायेगा।

(iii) 30 दिन से ज्यादा तथा 60 दिन तक की प्रतीक्ष्य अवधि विभागीय मंत्री की सहमति से नियमित की जायेगी। यह आदेश IFA की अनुशंसा के क्रम में निर्गत किया जायेगा।

(iv) किसी पदाधिकारी के विभाग में योगदान के 10 दिन के अन्दर सम्बन्धित स्थापना प्रभारी द्वारा कारवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(v) पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी के विभाग में योगदान के 30 दिनों के अन्दर अगर मामला विभागीय सेवा नियमितीकरण समिति के समक्ष उपस्थापित नहीं हुआ तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित प्रभारी- पदाधिकारी (स्थापना) दोषी है।

(vi) विभागीय नियमितीकरण समिति को यह अधिकार होगा कि विभाग के अधीनस्थ दोषी पदाधिकारी को चिह्नित करे, जो ऐसे मामलों को दबाते हैं एवं absconding & defaulting पदाधिकारी/कर्मी को मदद करते है। दोषी के विरूद्ध विभागीय कारवाई तथा इसके कारण राज्य सरकार को हुई क्षति की राशि की वसूली भी उनसे की जाय।

7 (i) दो माह से अधिक का waiting for posting के प्रस्ताव की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें विकास आयुक्त, प्रधान

सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, वित्त विभाग एवं प्रशासी विभाग के सचिव सदस्य होंगे। प्रशासी विभाग प्रस्ताव गठित कर समिति के समक्ष लायेंगे।

(ii) समिति की अनुशंसा के बाद विभाग के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

(iii) प्रशासी विभाग तद्नुसार आदेश निर्गत करेगा।

8. सम्बन्धित waiting for posting पदाधिकारी को इसकी सूचना विभाग के स्थापना शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को अपने पदस्थापन हेतु, आवेदन पत्र द्वारा देना होगा। इसे E-mail तथा Fax से भी सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. सभी विभाग अपने कर्मियों/पदाधिकारियों का data base उसके GPF No./PRAN/CPF No. सहित वेतनमान, वर्त्तमान पदस्थान, पदस्थापन तिथि इत्यादि के साथ website पर संधारित करेगा। साथ ही साथ स्थापना के सभी पदों का ब्यौरा भी संधारित रखा जाय। सभी स्थानान्तरण/पदस्थापन का ब्यौरा website पर रखा जाय। इसे नियमित update 30 दिन के अन्दर अवश्य किया जाय।

10. इस संबंध में पूर्व के प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जाएँगें।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2014 की बैठक के मद सं॰ 13 में इसकी स्वीकृति दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजबाला वर्मा,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 489–50 ।